रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2007/वैशाख 31, 1929
No. 593] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2007/VAISAKHA 31, 1929

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली; 18 मई, 2007

का.आ. 787(अ).—संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन संकल्प के पैरा 3, 4, 6 और 12 में विनिर्दिष्ट कतिपय उपायों को करने की अपेक्षा करने वाले संकल्प 1737 (2006) इस को अपने 5512वें अधिवेशन में अंगीकृत किया था;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अंगीकृत सुरक्षा परिषद् के उक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अप्रसार पर सुरक्षा परिषद् संकल्प 1737 (2006) का कार्यान्वयन आदेश, 2007 है ।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) संकल्प से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद् द्वारा 23 दिसम्बर, 2006 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1737 (2006) अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं किंतु इस आदेश में परिभाषित नहीं हैं किसी समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त विधि में हैं ।

3. **संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियां.**—केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के लिए आवश्यक उपाय करने की सभी शक्तियां होंगी,

(i) उन सभी मदों, सामग्रियों, उपस्कर, माल और प्रौद्योगिकी का ईरान में उपयोग या उसके लाभ के लिए भारतीय राज्य–क्षेत्रों या भारतीय राष्ट्रिकों या भारतीय ध्वज लगे जलयानों या वायुयानों के माध्यम से, और चाहे वे भारत के क्षेत्रों से चले हों अथवा नहीं, प्रत्यक्ष प्रदाय, विक्रय अप्रत्यक्ष रूप से अंतरण पर रोक लगाना, जो ईरान के संवर्धन संबंधी, पुन: प्रसंस्करण संबंधी या भारी जल संबंधी गतिविधियों या जो नाभिकीय शस्त्र परिदान प्रणाली के विकास में योगदान करते हों, अर्थात्–

(क) जो दस्तावेज एस/2006/814 के आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी. 8/भाग 1 के बी. 2, बी. 3, बी. 4, बी. 5, बी. 6, और बी. 7 के खण्डों में जो निहित हों;

(ख) दस्तावेज एस/2006/814 में आईएनएफसीआईआरसी/254/आर ई.वी. 8/भाग 1 के खण्डों क 1 और ख 1 में के सिवाय केवल निम्नलिखित के प्रदाय के अंतर्गत आने वाले, बिक्री या अंतरण ।

(i) ख. 1 में के अंतर्गत आने वाले उपस्कर जब इस प्रकार का उपस्कर हल्के जल रिएक्टर के लिए हो;

(ii) क. 1.2 के अंतर्गत आने वाले निम्न संवर्धित यूरेनियम जब उसका निगमन इस प्रकार के रिएक्टरों के लिए संभजित नाभिकीय ईंधन तत्व के लिए हो;

(ग) जो दस्तावेज एस/2006/815 में शामिल हों, प्रवर्ग-II की 19.क.3 के अंतर्गत आने वाले मदों की प्रदाय, बिक्री या अंतरण के सिवाय;

(घ) सुरक्षा परिषद् या संकल्प के पैरा 18 द्वारा स्थापित समिति (जिसे इसमें "समिति" कहा गया है) द्वारा यथा आवश्यक समझे जाने वाली कोई भी अतिरिक्त मद, सामग्री, उपस्कर, माल और प्रौद्योगिकी जो कि संवर्धन संबंधी, अथवा पुनः संसाधन संबंधी या भारी जल संबंधी गतिविधियों या नाभिकीय शस्त्र परिदान प्रणालियों के विकास में योगदान कर सकती हो;

(ii) निम्नलिखित मदों, सामग्रियों, उपस्कर, माल और प्रौद्यागिकी के ईरान के उपभोग के लिए या उसके लाभ के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों या भारतीय राष्ट्रिकों या भारतीय ध्वज लगे जलयानों या वायुयानों के माध्यम से चाहे वे भारतीय क्षेत्र से चले हों अथवा नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदाय बिक्री या अंतरण पर रोक लगाना;

(क) दस्तावेज एस/2006/814 के आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी 7/भार 2 में दिए गए हैं यदि केन्द्रीय सरकार यह निर्धारण करती है कि वे संवर्धन संबंधी, पुनः प्रसंस्करण संबंधी क्रियाकलापों या भारी जल संबंधी में योगदान करते हों;

(ख) दस्तावेज एस/2006/814 या एस/2006/815 में असूचीगत कोई अन्य मद यदि केन्द्रीय सरकार यह निर्धारण करती है कि वे संवर्धन संबंधी, पुनः प्रसंस्करण संबंधी या भारीजल संबंधी क्रियाकलापों या प्रदाय प्रणालियों के विकास में योगदान करेंगे;

(ग) कोई अन्य मद केन्द्रीय सरकार यह अवधारण करती है कि वे उन अन्य क्रियाकलापों के अनुक्रम से संबंधित योगदान करेंगे जिनके बारे में आईएईए ने चिंता व्यक्त की है या प्रमुख रूप से पहचान की है;

(iii) ईरान को, संकल्प के पैरा 1 और 2 में विनिर्दिष्ट निषिद्ध मदों, सामग्रियों, उपस्कर, माल और प्रौद्योगिकी के प्रदाय, विक्रय, अंतरण, निर्माण अथवा प्रयोग से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता या प्रशिक्षण, वित्तीय या सहायता, निवेश, दलाली या अन्य सेवाओं को प्रदान करने और वित्तीय संसाधनों या सेवाओं के अंतरण पर रोक लगाना;

(iv) उन निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों जो इस संकल्प के अंगीकृत होने की तारीख पर या उसके पश्चात् किसी भी समय भारतीय राज्य क्षेत्र में है, को रोक लगाना जो सुरक्षा परिषद या समिति द्वारा अभिहित अतिरिक्त व्यक्तियों या अस्तित्वों द्वारा स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित हैं क्योंकि वे ईरान की प्रसार संवेदनशील नाभिकीय क्रियाकलापों या नाभिकीय हथियार परिदान, प्रणाली के विकास कार्यक्रम में लगे हैं, प्रत्यक्षतः या उसमें सहायता कर रहे हैं या उनकी ओर से या उनके निर्देश पर कार्य कर रहे व्यक्तियों या आस्तित्वों द्वारा या उनके द्वारा गैर कानूनी माध्यमों सहित स्वामित्वाधीन या नियंत्रित हो और यह कि उपाबंध से सुरक्षा परिषद् या समिति उन्हें यदि और उस समय हटा देती है तो उन व्यक्तियों या अस्तित्वों के संबंध में इस पैरा में उपाय लागू होने से रोकना;

(v) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्तियों और अस्तित्वों को या उनके लाभ के लिए भारतीय राष्ट्रिकों या भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधन उपलब्ध करने पर रोकना ।

क. नाभिकीय कार्यक्रम में शामिल अस्तित्व

(1) ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन

(2) मेसबा ऊर्जा कंपनी (ए 40 अनुसंधान रिएक्टर-अराक उपलब्ध कराने वाला)

(3) काला-विद्युत (अकाकलाये विद्युत के नाम से भी जाना जाता है) (पीएफईपीनतांज उपलब्ध कराने वाला)

(4) पास ट्रास कंपनी (सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम में शामिल, आईएईए रिपोर्ट में चिहिंत)

(5) फरायंद टेक्नीक (सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम में शामिल, आईएईए रिपोर्ट में चिहिंत)

(6) रक्षा उद्योग संगठन (ओवर आर्चिंग एमओडीएएफएल-नियंत्रित आस्तित्व जिसके कुछ अधीनस्थ संघटक बनाने के सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम में शामिल रहे हैं)

(7) तिर का सातवां (डीआईओ के अधीनस्थ माना जाता है कि यह नाभिकीय कार्यक्रमों में शामिल है)

ख. बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में अंतर्वलित आस्तित्व

(1) शहिद हिम्मत औद्योगिक समूह (एसएचआईजी)(एआईओ का अधीनस्थ अस्तित्व)

(2) शाहिद बाघेरी औद्योगिक समूह (एसबीआईजी)(एआईओ का अधीनस्थ अस्तित्व)

(3) फजर औद्योगिक समूह (पूर्व में उपकरण कारखाना संयंत्र, एआईओ का अधीनस्थ अस्तित्व)

ग. नाभिकीय कार्यक्रम में अंतर्वलित व्यक्ति

(1) मोहम्मद कन्नादी, अनुसंधान और विकास के लिए एईओआई के उपाध्यक्ष

(2) बेहमान असगरपोर, प्रचालन प्रबंधक (अराक)

(3) दाऊद आगा-जानी, पीईईपी प्रमुख (नतांज)

(4) एहसान मोनाजेमी, निर्माण परियोजना प्रबंधक, नतांज

(5) जाफ़र मोहम्मदी, एईओआईके तकनीकी सलाहकार (सेंट्रीफ्यूज के लिए वाल्वों के उत्पादन प्रवंध प्रभारी)

(6) अली हजीनियाँ लेइलाबादी, महानिदेशक, मेसबा इनर्जी कंपनी

(7) ले. जनरल मोहम्मद मेहदी नेज़ाद नोउरी, मलेक अश्तार रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रेक्टर (रसायन विभाग, मोडाल्फ से संबद्ध ने बेरीलियम पर प्रयोग किए हैं)

घ. बैलिस्टक मिसाइल कार्यक्रम में अंतवर्लित व्यक्ति

1. जनरल होसैन सालिमी, एअर फोर्स कमांडर, आईआरजीसी (पसदारन)
2. अहमद वाहिद दस्तजेरदी, एआईओ प्रमुख
3. रजा-घोली इस्माइली, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामले विभाग, एआईओ
4. वहमनयार मोर्तेज़ा वहमनयार, वित्त और बजट विभाग प्रमुख, एआईओ

ड़. नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों कार्यक्रमों में अतवर्लित व्यक्ति

1. मे. जनरल याहया रहीम सफावी, कमांडर, आईआरजीसी (पसंदारन)

[सं. एल-152/2/2007]

के. सी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2007

S.O. 787(E).—Whereas the Security Council of the United Nations adopted Resolution 1737 (2006) (appended to this Order as Schedule) on 23rd December, 2006 in its 5512th meeting, under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all the States to take certain measures stipulated in paragraphs 3, 4, 6 and 12 of the resolution;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolution, namely:

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Implementation of Security Council Resolution 1737 (2006) on Non-proliferation Order, 2007.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions. —In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Resolution" means the Resolution 1737 (2006) of the Security Council of the United Nations adopted on 23rd December, 2006 by the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

(b) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws;

3. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution.—The Central Government shall have all the powers to take the necessary measures to,

(i) prevent the supply, sale or transfer directly or indirectly from Indian territories, or by Indian nationals or using Indian flag vessels or aircraft to, or for the use in or benefit of, Iran, and whether or not originating in Indian territories, of all items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems, namely:—

(a) those set out in sections B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 and B.7 of INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 in document S/2006/814;

(b) those set out in sections A.1 and B.1 of INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 in document S/2006/814, except the supply, sale or transfer of:

(i) equipment covered by B.1 when such equipment is for light water reactors;

(ii) low-enriched uranium covered by A.1.2 when it is incorporated in assembled nuclear fuel elements for such reactors;

(c) those set out in document S/2006/815, except the supply, sale or transfer of items covered by 19.A.3 of Category II;

(d) any additional items, materials, equipment, goods and technology, determined as necessary by the Security Council or the Committee established by paragraph 18 of the Resolution (herein "the Committee"), which could contribute to enrichment-related, or reprocessing, or heavy water-related activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems;

(ii) prevent the supply, sale or transfer directly or indirectly from Indian territories, or by Indian nationals or using Indian flag vessels or aircraft to, or for the use in or benefit of, Iran, and whether or not originating in Indian territories, of the following items, materials, equipment, goods and technology:

(a) those set out in INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 of document S/2006/814 if the Central Government determines that they would contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities;

(b) any other items not listed in documents S/2006/814 or S/2006/815 if the Central Government determines that they would contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems;

(c) any further items if the Central Government determines that they would contribute to the pursuit of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or identified as outstanding;

(iii) prevent the provision to Iran of any technical assistance or training, financial assistance, investment, brokering or other services, and the transfer of financial resources or services, related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of the prohibited items, materials, equipment, goods and technology specified in paragraphs 1 and 2 of the Resolution;

(iv) freeze the funds, other financial assets and economic resources which are on Indian territories at the date of the adoption of the resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled by the persons or entities designated in the Annexure, as well as those of additional persons or entities designated by the Security Council or by the Committee as being engaged in, directly associated with or providing support for Iran's proliferation sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, including through illicit means, and that the measures in this paragraph shall cease to apply in respect of such persons or entities if, and at such time as, the Security Council or the Committee removes them from the Annexure;

(v) ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by Indian nationals or by any persons or entities within its territories, to or for the benefit of such persons and entities.

ANNEXURE

A. Entities involved in the nuclear programme

1. Atomic Energy Organisation of Iran
2. Mesbah Energy Company (provider for A40 research reactor - Arak)
3. Kala-Electric (aka Kalaye Electric) (provider for PFEP - Natanz)
4. Pars Trash Company (involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports)
5. Farayand Technique (involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports)
6. Defence Industries Organisation (overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme)
7. 7th of Tir (subordinate of DIO, widely recognized as being directly involved in the nuclear programme)

B. Entities involved in the ballistic missile programme

1. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (subordinate entity of AIO)
2. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (subordinate entity of AIO)
3. Fajr Industrial Group (formerly Instrumentation Factory Plant, subordinate entity of AIO)

C. Persons involved in the nuclear programme

1. Mohammad Qannadi, AEOI Vice President for Research & Development
2. Behman Asgarpour, Operational Manager (Arak)
3. Dawood Agha-Jani, Head of the PFEP (Natanz)
4. Ehsan Monajemi, Construction Project Manager, Natanz
5. Jafar Mohammadi, Technical Adviser to the AEOI (in charge of managing the production of valves for centrifuges)
6. Ali Hajinia Leilabadi, Director General of Mesbah Energy Company
7. Lt. Gen. Mohammad Mehdi Nejad Nouri, Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology Chemistry Dept., affiliated to MODALF, has conducted experiments on beryllium)

D. Persons involved in the ballistic missile programme

1. Gen Hosein Salimi, Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran)
2. Ahmad Vahid Dastjerdi, Head of the AIO
3. Reza-Gholi Esmaeli, Head of Trade & International Affairs Dept., AIO
4. Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Head of Finance & Budget Dept., AIO

E. Persons involved in both the nuclear and ballistic missile programmes

Maj. Gen. Yahya Rahim Safavi, Commander, IRGC (Pasdaran)

[No. L-152/2/2007]
K. C. SINGH, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.